

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनांक: 26-03-2025

विषय सूची

भारत के सामाजिक सुरक्षा नेटवर्क का विस्तार

सड़क दुर्घटनाओं के कारण भारत को प्रतिवर्ष सकल घरेलू उत्पाद का 3% की हानि हो रही है

कॉलेजियम प्रणाली में बदलाव का आह्वान

ट्रांसजेनिक जीव

संसद ने आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक 2024 पारित किया

संक्षिप्त समाचार

पानीपत का तीसरा युद्ध

विक्रमशिला विश्वविद्यालय

भीम 3.0

बॉयलर्स बिल, 2024

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक(RRBs)

स्वर्ण मुद्रीकरण योजना

आपदा राहत निधि

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) वाशिंग

भद्रा वन्यजीव अभयारण्य

भारत के सामाजिक सुरक्षा नेटवर्क का विस्तार

संदर्भ

- हाल ही में, केंद्रीय श्रम मंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत ने अपने सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र का विस्तार करने में उल्लेखनीय प्रगति की है, जिससे यह सुनिश्चित हुआ है कि जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा कल्याणकारी कार्यक्रमों से लाभान्वित हो सके।

भारत में सामाजिक सुरक्षा का अवलोकन

- भारत में सामाजिक सुरक्षा आर्थिक और सामाजिक नीति का एक महत्वपूर्ण पहलू है जिसका उद्देश्य देश की विविध जनसंख्या को वित्तीय और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है।
- यह मुख्य रूप से सरकारी पहलों, नियोजित-आधारित लाभों और सामाजिक बीमा कार्यक्रमों के माध्यम से प्रदान किया जाता है।
- सामाजिक सुरक्षा को नियंत्रित करने वाले कानूनी ढांचे में शामिल हैं:
 - कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952;
 - कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948;
 - मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961;
 - असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008;
 - सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020।
- ये कानून और नीतियाँ संगठित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को कवर करती हैं, उन्हें वित्तीय सुरक्षा और कल्याण लाभ प्रदान करती हैं।

वैश्विक परिप्रेक्ष्य और सतत विकास

- सामाजिक संरक्षण एक मान्यता प्राप्त मानव अधिकार है, जो सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है।
- सतत विकास लक्ष्यों के लक्ष्य 1 का उद्देश्य राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों के माध्यम से 2030 तक गरीबी को समाप्त करना है, तथा कमजोर समूहों को कवरेज सुनिश्चित करना है।

- मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 22 में सामाजिक सुरक्षा को एक मौलिक अधिकार के रूप में महत्व दिया गया है, जिसकी पुष्टि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा सामाजिक सुरक्षा संबंधी अनुशंसा में की गई है।

भारत में प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ

- पेंशन और भविष्य निधि योजनाएँ:
 - कर्मचारी भविष्य निधि (EPF):** श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत EPFO द्वारा प्रबंधित, EPF 20 या अधिक श्रमिकों वाले संगठनों में कर्मचारियों के लिए एक अनिवार्य बचत योजना है।
 - नियोक्ता और कर्मचारी दोनों इस कोष में कर्मचारी के वेतन का 12% योगदान करते हैं।
 - राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS):** पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) द्वारा विनियमित एक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना।
 - यह सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है।
 - आयकर अधिनियम की धारा 80 सी.सी.डी. के अंतर्गत कर लाभ प्रदान करता है।
- असंगठित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा:
 - प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (PM-SYM):** असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक पेंशन योजना, जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये से कम है।
 - इसमें एक छोटा सा मासिक अंशदान (₹55-₹200) देना होता है, तथा सरकार भी उतना ही अंशदान देती है।
 - प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PM-KMY):** 18-40 वर्ष की आयु के छोटे और सीमांत किसानों के लिए पेंशन योजना।
 - भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण योजना (BOCW):** निर्माण श्रमिकों को स्वास्थ्य, शिक्षा और बीमा लाभ प्रदान करती है।

- **अटल पेंशन योजना (APY):** कम आय वाले श्रमिकों के लिए एक गारंटीकृत पेंशन योजना, जो वृद्धावस्था में वित्तीय सुरक्षा को प्रोत्साहित करती है।
- **प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY):** 18-50 वर्ष की आयु के व्यक्तियों के लिए ₹436 के वार्षिक प्रीमियम पर ₹2 लाख का जीवन बीमा कवरेज।
- **प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY):** यह एक दुर्घटना बीमा योजना है, जिसमें आकस्मिक मृत्यु और दिवंगतता के लिए 2 लाख रुपये का कवर दिया जाता है।
- **स्वास्थ्य और बीमा योजनाएँ:**
 - **कर्मचारी राज्य बीमा योजना (ESI):** प्रति माह 21,000 रुपये तक कमाने वाले कर्मचारियों को चिकित्सा और दिव्यांगता लाभ प्रदान करती है।
 - बीमारी, मातृत्व, दिव्यांगता और रोजगार के दौरान चोट लगने के कारण मृत्यु से संबंधित व्ययों को कवर करता है।
 - **राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (RSBY):** BPL (गरीबी रेखा से नीचे) परिवारों के लिए सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना।
 - **आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY):** आर्थिक रूप से वंचित समूहों के लिए प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपये तक का मुफ्त चिकित्सा कवरेज प्रदान करने वाली विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य आश्वासन योजना।
- **मातृत्व एवं दिव्यांगता लाभ:**
 - **मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961:** 10 या अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में कार्यरत महिलाओं को 26 सप्ताह का सवेतन मातृत्व अवकाश प्रदान करता है।
 - **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगता पेंशन योजना (IGNDPS):** गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले विकलांग व्यक्तियों को प्रति माह 300-500 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

• रोजगार और श्रम कल्याण:

- **महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA):** ग्रामीण परिवारों को 100 दिनों के मजदूरी रोजगार की गारंटी देता है, जिससे आय सुरक्षा मजबूत होती है।
- **ई-श्रम पोर्टल:** असंगठित श्रमिकों के लिए एक राष्ट्रीय डेटाबेस, जो सामाजिक सुरक्षा लाभों के लक्षित वितरण को सक्षम बनाता है।

सामाजिक सुरक्षा में हालिया विस्तार

- **गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को लाभ प्रदान करना:** गिग अर्थव्यवस्था के उदय के साथ, सरकार ने ई-श्रम और सामाजिक सुरक्षा संहिता जैसे प्लेटफॉर्मों के माध्यम से गिग श्रमिकों (जैसे खाद्य वितरण एजेंट और कैब ड्राइवर) को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने का प्रस्ताव दिया है।
- **डिजिटल और वित्तीय समावेशन:** जन धन-आधार-मोबाइल (JAM) त्रिमूर्ति ने कल्याणकारी लाभों के वितरण को मजबूत किया है, लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) सुनिश्चित किया है, लीकेज को कम किया है और पारदर्शिता में सुधार किया है।
- **‘एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड’ (ONORC) के अंतर्गत राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी:** यह प्रवासी श्रमिकों को भारत में कहीं भी सब्सिडी वाले खाद्यान्न तक पहुंच प्रदान करने में सक्षम बनाता है।
- **अनौपचारिक श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य देखभाल और बीमा को मजबूत करना:** सरकार अनौपचारिक श्रमिकों को स्वास्थ्य योजनाओं में शामिल करने, PM-JAY और ESIC सुविधाओं तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करने पर बल दे रही है।

सामाजिक सुरक्षा नेट के विस्तार में चुनौतियाँ

- **कवरेज का कम आंकलन:** ILO रिपोर्ट में खाद्य सुरक्षा और आवास या राज्य द्वारा प्रशासित योजनाओं जैसे वस्तुगत लाभों को शामिल नहीं किया गया है।
- इन कारकों को शामिल करने के बाद वास्तविक कवरेज अधिक होने की संभावना है।

- **असंगठित क्षेत्र में कम कवरेज:** भारत का 90% से अधिक कार्यबल असंगठित क्षेत्र में है, फिर भी केवल एक छोटा सा हिस्सा ही सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से लाभान्वित होता है।
- **जागरूकता और पहुंच का अभाव:** कई पात्र लाभार्थी मौजूदा योजनाओं से अनभिज्ञ रहते हैं, जिसके कारण नामांकन दर कम हो जाती है।
- **वित्तपोषण और कार्यान्वयन संबंधी बाधाएँ:** सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के लिए बड़ी वित्तीय आवश्यकता के कारण बजटीय बाधाएँ उत्पन्न होती हैं, जबकि अंतिम लक्ष्य तक कार्यान्वयन एक चुनौती बनी हुई है, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में।
- **खंडित कवरेज:** अनेक योजनाओं के बावजूद, अनेक श्रमिक - विशेषकर असंगठित क्षेत्र में - औपचारिक सुरक्षा नेट से बाहर रहते हैं।
- **नौकरशाही बाधाएँ और भ्रष्टाचार:** दावों के निपटान में देरी और धन आवंटन में अनियमितताएँ इन कार्यक्रमों की दक्षता को कम करती हैं।

आगे की राह

- **योजनाओं का एकीकरण:** एकीकृत सामाजिक सुरक्षा ढांचा दक्षता और पहुंच को बढ़ा सकता है।
- **प्रौद्योगिकी-संचालित वितरण:** डिजिटल नामांकन, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण और मोबाइल एप्लिकेशन का विस्तार करके पहुंच में सुधार किया जा सकता है।
- **सार्वजनिक-निजी भागीदारी को मजबूत करना:** पेंशन और बीमा समाधान प्रदान करने में निजी क्षेत्र को शामिल करने से सामाजिक सुरक्षा कवरेज को बढ़ाया जा सकता है।
- **असंगठित क्षेत्र को औपचारिक बनाना:** सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में श्रमिकों को पंजीकृत करने के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करना।
- **प्रक्रियाओं का सरलीकरण:** कागजी कार्रवाई को कम करना और नामांकन प्रक्रियाओं को अधिक उपयोगकर्ता-अनुकूल बनाना।

Source: TH

सड़क दुर्घटनाओं के कारण भारत को प्रतिवर्ष सकल घरेलू उत्पाद का 3% की हानि हो रही है

संदर्भ

- सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने बताया कि देश में प्रतिवर्ष लगभग पांच लाख सड़क दुर्घटनाओं के कारण भारत को अपने सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की 3% की हानि हो रही है।

भारत में सड़क दुर्घटनाओं पर रिपोर्ट (2022)

- 2022 में भारत में 4,61,312 सड़क दुर्घटनाएँ हुईं, जिनमें 4,43,366 लोग घायल हुए और 1,68,491 लोगों की मृत्यु हुई।
 - 2021 की तुलना में 2022 में दुर्घटनाओं में 11.9%, मृत्युओं में 9.4% और चोटों में 15.3% की वृद्धि हुई।
- दुर्घटना की गंभीरता (प्रति 100 दुर्घटनाओं में मृत्यु) 2021 में 37.3 से घटकर 2022 में 36.5 हो गई, जबकि 83.4% मृत्यु 18-60 वर्ष की आयु के लोगों की थीं।
- सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्युओं में 44.5% मौतें दोपहिया वाहनों के कारण हुईं, इसके बाद पैदल यात्रियों (19.5%), कारों/टैक्सी/वैन (12.5%) और ट्रकों (6.3%) का स्थान रहा।
- 2022 में 72.3% दुर्घटनाओं और 71.2% मृत्युओं के लिए तेज गति प्रमुख कारण थी।

क्या आप जानते हैं?

- सितंबर 2020 में, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सड़क सुरक्षा 2021-2030 के लिए कार्रवाई का दशक शुरू किया, जिसका उद्देश्य 2030 तक सड़क यातायात मृत्युओं और चोटों को कम से कम 50 प्रतिशत कम करना है।
- सड़क सुरक्षा पर दूसरा वैश्विक उच्च स्तरीय सम्मेलन सुरक्षित 1 रोड 20 था, जिसमें सदन
 - ब्रासीलिया घोषणापत्र में भाग लेने वाले देशों ने सतत विकास लक्ष्यों के अंतर्गत लक्ष्य निर्धारित किए तथा अगले 5 वर्षों में सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्युओं को 50% तक कम करने का संकल्प लिया।

सड़क दुर्घटनाओं से सकल घरेलू उत्पाद को किस प्रकार हानि होती है?

- दुर्घटना पीड़ितों के लिए चिकित्सा उपचार की लागत स्वास्थ्य देखभाल संसाधनों पर दबाव डालती है।
- दुर्घटनाओं से हुई बुनियादी संरचना की क्षति की मरम्मत के लिए वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होती है।
- दुर्घटना पीड़ितों की अस्थायी या स्थायी दिव्यांगता के कारण आय की हानि से आर्थिक उत्पादकता प्रभावित होती है।
- बढ़ी हुई बीमा और कानूनी लागत से व्यवसायों और व्यक्तियों पर वित्तीय भार बढ़ जाता है।
- सड़क दुर्घटनाओं से पर्यटन और वाणिज्यिक परिवहन की दक्षता कम हो जाती है, जिससे अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है।
- युवा और कामकाजी आयु वर्ग (18-45 वर्ष) की आबादी में जीवन और उत्पादकता की हानि से सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि पर और अधिक प्रभाव पड़ता है।

सरकारी पहल

- **राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति भारत, 2010:** इसमें बेहतर सड़क अवसंरचना, यातायात नियमों के सख्त प्रवर्तन, उन्नत आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं, जन जागरूकता अभियान और दुर्घटना के बाद बेहतर देखभाल की आवश्यकता पर बल दिया गया।
- **इलेक्ट्रॉनिक विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट (e-DAR)/ एकीकृत सड़क दुर्घटना डेटाबेस (iRAD):** सुरक्षा में सुधार के लिए सड़क दुर्घटना डेटा की रिपोर्टिंग, प्रबंधन और विश्लेषण के लिए केंद्रीकृत प्रणाली।
- **दुर्घटना पीड़ितों को त्वरित सहायता:** दुर्घटना पीड़ितों की सहायता करने वाले अच्छे लोगों को ₹25,000 का पुरस्कार दिया जाएगा।
- **त्वरित मुआवजा:** गंभीर चोट के लिए 2.5 लाख रुपये, मृत्यु के लिए 5 लाख रुपये।
- **हिट-एंड-रन पीड़ितों के लिए बढ़ा हुआ मुआवजा:** मृत्यु होने पर 2 लाख रुपये, गंभीर चोट लगने पर 50,000 रुपये।

- किराये पर लिए गए ड्राइवरों सहित तृतीय पक्ष बीमा के लिए सरलीकृत प्रक्रियाएँ।
- **वाहन फिटनेस:** पुराने, अयोग्य वाहन दुर्घटनाओं में योगदान देते हैं। मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में आदर्श निरीक्षण और प्रमाणन केंद्र स्थापित कर रहा है (वर्ष 2024 तक 28 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र शामिल किए जाएंगे)।
- **IIT मद्रास सहयोग:** नए उत्पादों को विकसित करने, अनुसंधान करने और सुरक्षा पहलों को बढ़ावा देने के लिए सड़क सुरक्षा के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना करना।
- **दुर्घटना ब्लैकस्पॉट सुधार:** इंजीनियरिंग उपायों के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटना-प्रवण स्थानों की पहचान और सुधार को प्राथमिकता दी जाएगी।
- **सड़क सुरक्षा ऑडिट:** सभी राजमार्ग परियोजनाओं के लिए डिजाइन, निर्माण और संचालन के स्तर पर अनिवार्य ऑडिट।
- **ब्रासीलिया घोषणा:** भारत उन आरंभिक 100 से अधिक देशों में से एक था, जिन्होंने 2015 में ब्रासीलिया घोषणा पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें सतत विकास लक्ष्य 3.6 को प्राप्त करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई थी, अर्थात् 2030 तक सड़क यातायात दुर्घटनाओं से होने वाली वैश्विक मृत्युओं और चोटों की संख्या को आधा करना।
- यातायात उल्लंघनों के लिए दंड, जिसमें तेज गति से वाहन चलाना, नशे में वाहन चलाना, तथा हेलमेट या सीट बेल्ट न पहनना शामिल है।

आगे की राह

- वैश्विक स्तर पर सर्वोत्तम प्रथाओं से पता चलता है कि जिन देशों ने प्रणाली दृष्टिकोण अपनाया है, वे मृत्यु दर में 50% कमी लाने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रहे हैं या उस लक्ष्य को प्राप्त करने के करीब हैं।
- ऑस्ट्रेलिया और स्वीडन जैसे देश संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य (SDG) 3.6 से आगे बढ़ गए हैं और इस मुद्दे पर गहराई से विचार किया है। इसलिए, भारत इन वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं से सीख सकता है।

- भारत ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IITs) और केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान (CRRRI) जैसे प्रमुख संस्थानों के माध्यम से सड़क सुरक्षा पर पर्याप्त अनुसंधान किया है।
 - सरकार नीतियों और कार्य योजनाओं में सुधार के लिए इन संस्थानों के साथ सहयोग कर सकती है।
- कॉर्पोरेट क्षेत्र अनुसंधान को वित्तपोषित करके तथा जागरूकता फैलाकर सड़क सुरक्षा को मजबूत बनाने में भूमिका निभा सकता है।

Source: TH

कॉलेजियम प्रणाली में बदलाव का आह्वान

समाचार में

- उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के आवास से अधजले भारतीय नोटों की बरामदगी पर चर्चा के लिए राज्यसभा के नेताओं के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की।

परिचय

- बैठक में न्यायिक नियुक्तियों और वर्तमान कॉलेजियम प्रणाली के विकल्प की आवश्यकता पर भी ध्यान केंद्रित किया गया।
 - उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) के महत्त्व को दोहराया, जिसे 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया था।

कॉलेजियम प्रणाली

- कॉलेजियम वह प्रणाली है जिसके माध्यम से भारत की उच्च न्यायपालिका (सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय) के न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण किया जाता है।
- यह संविधान या किसी विशिष्ट कानून पर आधारित नहीं है, बल्कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के माध्यम से विकसित हुआ है, जिन्हें “न्यायाधीशों के मामले” के रूप में जाना जाता है।

संरचना

- सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम एक पांच सदस्यीय निकाय है, जिसका नेतृत्व भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) और चार अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश करते हैं।

- उच्च न्यायालय कॉलेजियम का नेतृत्व संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और दो अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश करते हैं।

कॉलेजियम प्रणाली कैसे कार्य करती है?

- सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्तियों के लिए नामों की सिफारिश करता है, और उच्च न्यायालय कॉलेजियम अपने-अपने न्यायालयों के लिए ऐसा करते हैं।
- उच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिशों को सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए।
- सरकार अनुशंसित उम्मीदवारों पर खुफिया ब्यूरो (IB) से जांच कराती है। यदि कॉलेजियम अपनी सिफारिशों दोहराता है तो सरकार उन्हें स्वीकृत करने के लिए बाध्य है।

आलोचनाएँ

- इस प्रणाली की आलोचना अपारदर्शी होने तथा इसमें आधिकारिक तंत्र या सचिवालय का अभाव होने के कारण की गई है।
- इसमें कोई निर्धारित पात्रता मानदंड या स्पष्ट चयन प्रक्रिया नहीं है।
- निर्णय बंद दरवाजों के पीछे लिए जाते हैं, तथा कॉलेजियम बैठकों का कोई सार्वजनिक रिकॉर्ड या विवरण नहीं होता।
- वकीलों को प्रायः यह पता नहीं होता कि न्यायिक नियुक्तियों के लिए उनके नाम पर विचार किया जा रहा है या नहीं।

क्या आप जानते हैं?

- न्यायमूर्ति एम एन वेंकटचलैया आयोग (2000) ने कॉलेजियम के स्थान पर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) स्थापित करने की सिफारिश की थी।
- NJAC में मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के दो वरिष्ठतम न्यायाधीश, केन्द्रीय विधि मंत्री तथा मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा चुना गया एक प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल होना था।

- सरकार ने 2014 में एनजेएसी विधेयक पारित किया था, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने एक वर्ष के अन्दर ही इसे असंवैधानिक करार देते हुए खारिज कर दिया था, तथा न्यायिक नियुक्तियों में न्यायपालिका की प्रधानता को बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया था।

सुझाव

- कॉलेजियम प्रणाली का उद्देश्य न्यायिक स्वतंत्रता को संरक्षित करना था और पिछले कुछ वर्षों में इसे काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है।
- पारदर्शिता, समावेशिता और चयन के लिए स्पष्ट मानदंड इन चिंताओं को दूर करने में मदद कर सकते हैं, जिससे अधिक जवाबदेह और कुशल न्यायिक नियुक्ति प्रक्रिया सुनिश्चित हो सकेगी।
- इस दिशा में सुधार भारत की न्यायपालिका की अखंडता और कार्यप्रणाली को मजबूत करने में योगदान देगा।

Source :TH

ट्रांसजेनिक जीव


समाचार में

- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने हाल ही में गलत दावा किया था कि “चूहों को ट्रांसजेनिक बनाने” पर 8 मिलियन डॉलर व्यय किए गए थे, जिसे बाद में सुधार कर “ट्रांसजेनिक चूहे” कर दिया गया।

परिचय

- मीडिया रिपोर्टों ने स्पष्ट किया कि इस अनुसंधान में हार्मोन थेरेपी, HIV टीके, स्तन कैंसर और अन्य स्वास्थ्य क्षेत्रों पर अध्ययन के लिए हार्मोन उपचार शामिल थे - चूहों के लिंग में परिवर्तन के लिए नहीं।
- ट्रांसजेनिक चूहों पर किए गए अध्ययनों से आनुवंशिकी, कैंसर, प्रजनन आदि को समझने में सहायता मिली है। ये चूहे मनुष्यों से अपनी आनुवंशिक समानता के कारण रोगों के मॉडलिंग में मूल्यवान हैं।

ट्रांसजेनिक जीव



- यह किसी जीव या कोशिका को संदर्भित करता है जिसके जीनोम को कृत्रिम तरीकों से किसी अन्य प्रजाति के एक या अधिक विदेशी DNA अनुक्रमों के प्रवेश द्वारा परिवर्तित किया गया है।
- ट्रांसजेनिक जीवों को अनुसंधान प्रयोजनों के लिए प्रयोगशाला में उत्पन्न किया जाता है।

अनुप्रयोग

- ट्रांसजेनिक पशुओं का उपयोग आनुवंशिक प्रक्रियाओं के अध्ययन के लिए किया गया है, जैसे आनुवंशिक जानकारी ले जाने में DNA की भूमिका तथा ऑन्कोजीन और कैंसर के बीच संबंध।
- ट्रांसजेनिक पशु सामान्य शारीरिक प्रक्रियाओं को समझने और उपचार विकास के लिए मानव रोगों का मॉडल तैयार करने में भी सहायता करते हैं।
 - बकरियों और गायों जैसे पशुओं को इंसुलिन जैसे चिकित्सीय प्रोटीन उत्पन्न करने के लिए तैयार किया गया है।
- ऐसी ट्रांसजेनिक फसलें पैदा की गई हैं जो संक्रामक रोगों के प्रति प्रतिरोधी हैं तथा तेजी से बढ़ती हैं।
- इसका उपयोग तेल रिसाव और भारी धातुओं जैसे प्रदूषकों को तोड़ने के लिए जैव-उपचार में किया जाता है।

चुनौतियाँ

- पशु कल्याण और आनुवंशिक संशोधन की नैतिकता के बारे में नैतिक चिंताएँ हैं।

- इससे संभावित पर्यावरणीय या स्वास्थ्य संबंधी प्रभाव, जैसे कि अनपेक्षित जीन प्रवाह या एलर्जी प्रतिक्रियाएँ होने की संभावना रहती है।
- ट्रांसजेनिक जीवों का निर्माण महंगा और तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण है।

निष्कर्ष और आगे की राह

- ट्रांसजेनिक जीव चिकित्सा, कृषि एवं पर्यावरण प्रबंधन में बड़ी संभावनाएँ प्रदान करते हैं, लेकिन उनके जिम्मेदार उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए नैतिक, पर्यावरणीय और नियामक चिंताओं से सावधानीपूर्वक निपटने की आवश्यकता होती है।

Source :TH

संसद ने आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक 2024 पारित किया

संदर्भ

- संसद ने आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक 2024 पारित कर दिया है।

परिचय

- विधेयक आपदा प्रबंधन एक्ट, 2005 में संशोधन करता है।
- आपदा प्रबंधन एक्ट निम्नलिखित की स्थापना करता है:
 - राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA),
 - राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA) और
 - जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण।
- ये प्राधिकरण क्रमशः राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन के लिए जिम्मेदार हैं।

विधेयक की मुख्य विशेषताएँ

- **आपदा प्रबंधन योजनाओं की तैयारी:** विधेयक में प्रावधान है कि NDMA और SDMA आपदा प्रबंधन योजनाएँ तैयार करेंगे, जिन्हें पहले राष्ट्रीय और राज्य कार्यकारी समिति द्वारा तैयार किया जाता था।
- **NDMA और SDMA के कार्य:** विधेयक में इन कार्यों को जोड़ा गया है:

- चरम जलवायु घटनाओं से उत्पन्न होने वाले जोखिमों सहित आपदा जोखिमों का समय-समय पर जायजा लेना,
- अपने से नीचे के प्राधिकारियों को तकनीकी सहायता प्रदान करना,
- राहत के न्यूनतम मानकों के लिए दिशा-निर्देशों की सिफारिश करना, तथा
- क्रमशः राष्ट्रीय और राज्य आपदा डेटाबेस तैयार करना।
- विधेयक NDMA को केन्द्र सरकार की पूर्व स्वीकृति से अधिनियम के तहत विनियमन बनाने का अधिकार भी देता है।
- **आपदा डेटाबेस:** विधेयक राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर एक व्यापक आपदा डेटाबेस के निर्माण का अधिदेश देता है।
- **शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण:** यह राज्य सरकार को राज्य की राजधानियों और नगर निगम वाले शहरों के लिए एक अलग शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण गठित करने का अधिकार देता है।
- **राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF) का गठन:** विधेयक राज्य सरकार को SDRF के गठन का अधिकार देता है।
 - राज्य सरकार SDRF के कार्यों को परिभाषित करेगी और इसके सदस्यों के लिए सेवा की शर्तें निर्धारित करेगी।
- **मौजूदा समितियों को वैधानिक दर्जा:** विधेयक राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति (NCMC) और उच्च स्तरीय समिति (HLC) जैसी मौजूदा संस्थाओं को वैधानिक दर्जा प्रदान करता है।
 - NCMC गंभीर या राष्ट्रीय प्रभाव वाली बड़ी आपदाओं से निपटने के लिए नोडल निकाय के रूप में कार्य करेगी।
- उच्च स्तरीय समिति आपदाओं के दौरान राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगी।

- **NDMA में नियुक्तियाँ:** यह विधेयक NDMA को केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति से अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या और श्रेणी निर्दिष्ट करने का अधिकार देता है।
 - NDMA आवश्यकतानुसार विशेषज्ञों और सलाहकारों की नियुक्ति भी कर सकता है।

चिंताएँ:

- कई विपक्षी सदस्यों ने तर्क दिया कि ये संशोधन सत्ता को केंद्रीकृत कर सकते हैं तथा राज्य सरकारों की स्वायत्तता को कमजोर कर सकते हैं।
- विधेयक में पहले से मौजूद जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के स्थान पर नए प्राधिकरण, शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को अधिक शक्तियाँ प्रदान की गई हैं।

निष्कर्ष

- वैश्विक तापन और जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाली नई प्रकार की आपदाओं से निपटने के लिए ये संशोधन आवश्यक थे।
- सरकार के अनुसार, इन समस्याओं का प्रभावी ढंग से समाधान करने के लिए हमें अपनी संस्थाओं को मजबूत बनाना होगा और उन्हें जवाबदेह बनाना होगा।

Source: IE

संक्षिप्त समाचार

पानीपत का तीसरा युद्ध

समाचार में

- महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने पानीपत की तीसरे युद्ध (1761) में मराठों की बहादुरी का बचाव करते हुए कहा कि यह पराजय की याद दिलाने वाली बात नहीं बल्कि उनके साहस का प्रमाण है।

पानीपत का तीसरा युद्ध

- यह 18वीं सदी की सबसे बड़ी और सबसे घातक लड़ाइयों में से एक है।
- यह युद्ध 14 जनवरी 1761 को मराठा साम्राज्य और अफगानिस्तान के अहमद शाह दुर्रानी के नेतृत्व वाले गठबंधन के बीच लड़ा गया था।

- सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व में मराठों ने अफगान और रोहिल्ला सेनाओं का सामना किया।
- प्रारंभिक सफलताओं के बावजूद, मराठों को घेर लिया गया और उन्हें खाद्यान्न की भारी कमी का सामना करना पड़ा।
 - इस युद्ध में अफगानों की निर्णायक जीत हुई, तथा भारी क्षति हुई, जिसमें लगभग 60,000-70,000 मराठा मारे गए।
 - मराठों की पराजय के कारण उनका उत्तरी विस्तार लगभग एक दशक तक रुक गया।
- हालाँकि, पेशवा माधवराव के नेतृत्व में, उन्होंने बाद में उत्तरी भारत पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया

Source :TH

विक्रमशिला विश्वविद्यालय

समाचार में

- राजगीर में अपने ऐतिहासिक स्थल के निकट आधुनिक नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना के एक दशक बाद, अब विक्रमशिला विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित करने के प्रयास चल रहे हैं।

विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में

- इसकी स्थापना पाल राजवंश के राजा धर्मपाल ने 8वीं शताब्दी के अंत से 9वीं शताब्दी के प्रारंभ में की थी।
- यह भारत के बिहार राज्य के भागलपुर जिले में स्थित है।
- विक्रमशिला मध्यकालीन भारत के सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध शिक्षा केंद्रों में से एक था, जो नालंदा विश्वविद्यालय के बाद द्वितीय स्थान पर था।
- यह विशेष रूप से तांत्रिक अध्ययन के लिए प्रसिद्ध था, जो पाल काल के दौरान बौद्ध और हिंदू दोनों परंपराओं में लोकप्रिय था।
- इसे 12वीं शताब्दी के अंत में कुतुबुद्दीन ऐबक के सैन्य कमांडर बख्तियार खिलजी द्वारा नष्ट कर दिया गया था।
- अतीसा दीपांकर एक प्रसिद्ध बौद्ध गुरु और विद्वान थे जिन्होंने 11वीं शताब्दी के दौरान तिब्बत में बौद्ध धर्म के पुनरुद्धार और सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

Source: IE

भीम 3.0**समाचार में**

- भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) की सहायक कंपनी भीम सर्विसेज लिमिटेड (NBSL) ने भीम 3.0 लॉन्च किया है।

भीम

- भारत इंटरफेस फॉर मनी (BHIM) एक UPI आधारित भुगतान इंटरफेस है जो आपके मोबाइल नंबर या नाम जैसी एकल पहचान का उपयोग करके वास्तविक समय में धन हस्तांतरण की अनुमति देता है।
- इसे 2016 में प्रधान मंत्री द्वारा पेश किया गया था और इसने भारत में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- भीम 3.0 डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म का नवीनतम संस्करण है।
- इसमें बेहतर उपयोगकर्ता अनुभव के लिए कई संवर्द्धन शामिल हैं, जिनमें शामिल हैं:
 - **विस्तारित भाषा समर्थन:** 15 से अधिक भारतीय भाषाओं में उपलब्ध।
 - **कम इंटरनेट वाले क्षेत्रों के लिए अनुकूलित:** खराब नेटवर्क कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों में भी सुचारू लेनदेन सुनिश्चित करता है।
 - **उन्नत धन प्रबंधन उपकरण:** इसमें व्यय ट्रैकिंग, बिल विभाजन और व्यय विश्लेषण शामिल हैं।
 - **पारिवारिक मोड:** परिवार के सदस्यों के लिए साझा व्यय का प्रबंधन और भुगतान निर्दिष्ट करने में सक्षम बनाता है।

Source :TH

बॉयलर्स बिल, 2024**संदर्भ**

- संसद ने बॉयलर्स विधेयक, 2024 पारित कर दिया है।

परिचय

- इसका उद्देश्य बॉयलरों को विनियमित करना, विस्फोटों से सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा पंजीकरण में एकरूपता प्रदान करना है।

- बॉयलर अधिनियम, 1923 को निरस्त किया गया: सौ साल पुराने बॉयलर अधिनियम को आधुनिक प्रावधानों से प्रतिस्थापित किया गया।
- बॉयलर एक बंद बर्तन या कंटेनर है जिसका उपयोग पानी या अन्य तरल पदार्थों को गर्म करने के लिए किया जाता है ताकि भाप या गर्म पानी उत्पन्न किया जा सके।
 - उत्पन्न भाप या गर्म जल का उपयोग विभिन्न औद्योगिक प्रक्रियाओं, तापन प्रयोजनों, या इंजनों, टर्बाइनों या अन्य मशीनरी को चलाने के लिए किया जाता है।
 - बॉयलर सामान्यतः विनिर्माण, विद्युत उत्पादन और इमारतों के लिए हीटिंग सिस्टम जैसे उद्योगों में पाए जाते हैं।

प्रमुख विशेषताएँ:

- **सुरक्षा और योग्यता:** बॉयलर की मरम्मत के लिए योग्य कर्मियों की आवश्यकता होती है और बॉयलर के साथ काम करने वालों की सुरक्षा पर बल दिया जाता है।
- **सरलीकृत विधान:** औपनिवेशिक युग के प्रावधानों को हटा दिया गया तथा विधेयक को सरल और अधिक पठनीय बना दिया गया।
- **राज्य की शक्तियाँ संरक्षित:** राज्य के अधिकारों पर कोई अतिक्रमण नहीं।
- **दंड:** प्रमुख सुरक्षा उल्लंघनों के लिए आपराधिक दंड, छोटे अपराधों के लिए वित्तीय दंड, तथा गैर-आपराधिक अपराधों के लिए कार्यकारी दंड।
- **व्यापार में आसानी के लिए गैर-अपराधीकरण:** जन विश्वास (संशोधन) अधिनियम, 2023 के अनुरूप कुछ अपराधों को गैर-अपराधीकरण करके MSMEs को लाभ पहुंचाया जाएगा।
- **तृतीय-पक्ष निरीक्षण:** 2007 में शुरू किए गए स्वतंत्र तृतीय-पक्ष निरीक्षण के प्रावधानों को बरकरार रखा गया है।
- **श्रमिकों की सुरक्षा पर प्रभाव:** कानून उद्योगों में लगे श्रमिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देता है।

Source: AIR

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक(RRBs)

समाचार में

- RRBs ने वित्त वर्ष 2023-24 में रिकॉर्ड ₹7,571 करोड़ का लाभ प्राप्त किया; CRAR, जमा, NPAs CD अनुपात जैसे प्रमुख वित्तीय संकेतक लगातार सुधार दिखा रहे हैं।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के बारे में

- RRBs की उत्पत्ति का पता 1975 में नरसिम्हन कार्य समूह की सिफारिशों के बाद लगाया जा सकता है।
- RRBs को शुरू में एक अध्यादेश के माध्यम से बनाया गया था, बाद में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 के माध्यम से एक वैधानिक आधार दिया गया। उत्तर प्रदेश में स्थापित पहला RRBs प्रथमा बैंक (सिंडिकेट बैंक द्वारा प्रायोजित) था।
- RRBs का प्राथमिक उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों, कृषि मजदूरों को बैंकिंग और वित्तीय सेवाएँ प्रदान करके ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास करना है। कारीगरों और छोटे उद्यमियों।
- RRBs त्रिपक्षीय स्वामित्व मॉडल का पालन करते हैं, जो केंद्र, राज्य और प्रायोजक बैंकों से समन्वित समर्थन सुनिश्चित करता है:
 - ♦ भारत सरकार – 50%
 - ♦ राज्य सरकार – 15%
 - ♦ प्रायोजक बैंक (सामान्यतः एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक) – 35%
- वे भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा विनियमित होते हैं और नाबार्ड द्वारा पर्यवेक्षित होते हैं
- डॉ. के.सी.व्यास समिति (2001) की सिफारिशों के आधार पर RRBs को चरणबद्ध तरीके से समेकित किया गया है।

Source: PIB

स्वर्ण मुद्राकरण योजना

समाचार में

- वित्त मंत्रालय ने 26 मार्च, 2018 से स्वर्ण मौद्रिकरण योजना के मध्यम अवधि और दीर्घकालिक सरकारी जमा (MLTGD) घटकों को बंद करने का निर्णय लिया है।

स्वर्ण मौद्रिकरण योजना के बारे में

- **लॉन्च:** 15 सितंबर, 2015
- **उद्देश्य:**
 - ♦ घरों और संस्थानों द्वारा रखे गए सोने को एकत्रित करना
 - ♦ सोने के आयात पर भारत की निर्भरता कम करना
 - ♦ अर्थव्यवस्था में उत्पादक उद्देश्यों के लिए निष्क्रिय सोने का उपयोग करना
- **जीएमएस के तीन घटक थे:**
 - ♦ **अल्पावधि बैंक जमा (STBD):** 1 से 3 वर्ष (बैंकों द्वारा प्रबंधित)
 - ♦ **मध्यम अवधि सरकारी जमा (MTGD):** 5 से 7 वर्ष
 - ♦ **दीर्घावधि सरकारी जमा (LTGD):** 12 से 15 वर्ष
- इसका कार्यान्वयन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) को छोड़कर सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा किया जाता है।

Source: TH

आपदा राहत निधि

संदर्भ

- केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राज्यों द्वारा दी जाने वाली मुफ्त सुविधाओं को आपदा राहत कोष से वित्त पोषित नहीं किया जाना चाहिए।

प्रमुख बिंदु

- केंद्रीय गृह मंत्री ने आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024 का बचाव करते हुए कहा कि यह संघवाद का

उल्लंघन नहीं करता है और इस बात पर बल दिया कि राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि का उपयोग मुफ्त सुविधाओं के लिए नहीं कर सकते हैं।

- उन्होंने पीएम-केयर्स फंड का भी बचाव किया और दावा किया कि यह पारदर्शी है और उचित तरीके से प्रबंधित है, जबकि PMNRF में पारदर्शिता की कमी है।

राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF)

- इसकी स्थापना आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत की गई थी, यह राज्य सरकारों के लिए आपदाओं से निपटने हेतु प्राथमिक कोष है।
- केन्द्र सरकार सामान्य श्रेणी के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए SDRF आवंटन का 75% और विशेष श्रेणी के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 90% योगदान देती है।
- SDRF का उपयोग विशेष रूप से चक्रवात, बाढ़, भूकंप आदि जैसी आपदाओं के पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए किया जाता है।
- राज्य गृह मंत्रालय द्वारा सूचीबद्ध न की गई स्थानीय आपदाओं के लिए भी SDRF का 10% तक उपयोग कर सकते हैं, बशर्ते राज्य ने स्पष्ट दिशानिर्देश स्थापित किए हों और राज्य कार्यकारी प्राधिकरण (SEC) से अनुमोदन प्राप्त किया हो।

क्या आप जानते हैं?

- राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF) गंभीर आपदाओं के मामलों में अतिरिक्त धन की आवश्यकता होने पर SDRF की सहायता करता है। केन्द्र सरकार NDRF को पूर्णतः वित्तपोषित करती है, जबकि SDRF में राज्यों के साथ लागत साझा करने की व्यवस्था है।
- SDRF और NDRF दोनों का वित्तपोषण आवंटन वित्तीय आयोगों की सिफारिशों पर आधारित है, तथा केन्द्र सरकार दोनों में योगदान देती है। NDRF अपनी निधि को और अधिक बढ़ाने के लिए व्यक्तियों और संस्थाओं से भी योगदान स्वीकार करता है।

Source :TH

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) वाशिंग

संदर्भ

- एक नया और बढ़ता हुआ प्रश्न यह है कि क्या कम्पनियाँ AI के उपयोग के बारे में अतिशयोक्तिपूर्ण दावे कर रही हैं।
- प्रौद्योगिकी कंपनियाँ और स्टार्टअप्स स्वयं को AI का उपयोग करने वाला बताते हैं, लेकिन ऐसा न करना 'AI वाशिंग' का आधार बनता है।

परिचय

- AI वाशिंग शब्द ग्रीनवाशिंग से लिया गया है, जहां कंपनियाँ ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए अपनी पर्यावरण मित्रता को बढ़ा-चढ़ाकर बताती हैं।
- इसी तरह, जो व्यवसाय अपने उत्पादों में AI को एकीकृत करने का दावा करते हैं, जबकि वास्तव में वे कम परिष्कृत तकनीक का उपयोग कर रहे होते हैं, उन पर AI धोखाधड़ी का आरोप लगाया जा सकता है।
- जब बात AI वाशिंग की आती है तो इसके कई प्रकार होते हैं।
- कुछ कंपनियाँ AI का उपयोग करने का दावा करती हैं, जबकि वास्तव में वे कम परिष्कृत कंप्यूटिंग का उपयोग कर रही होती हैं, जबकि अन्य कंपनियाँ मौजूदा तकनीकों की तुलना में अपने AI की प्रभावकारिता को बढ़ा-चढ़ाकर बताती हैं, या यह सुझाव देती हैं कि उनके AI समाधान पूरी तरह से कार्यात्मक हैं, जबकि वास्तव में वे कार्यात्मक नहीं होते हैं।
- **चिंताएँ:** AI वाशिंग से व्यवसायों पर चिंताजनक प्रभाव पड़ सकता है, प्रौद्योगिकी और सेवाओं के लिए अधिक भुगतान से लेकर परिचालन उद्देश्यों को पूरा करने में विफल होने तक, जिन्हें प्राप्त करने में AI से सहायता की संभावना थी।
- निवेशकों के लिए वास्तव में नवोन्मेषी कंपनियों की पहचान करना कठिन हो सकता है।

Source: IE

भद्रा वन्यजीव अभयारण्य

संदर्भ

- वन विभाग जंगली हाथियों को पकड़ने और उनके पुनर्वास के लिए एक योजना पर कार्य कर रहा है, जिसमें उन्हें चरणबद्ध तरीके से भद्रा वन्यजीव अभयारण्य में छोड़ा जाएगा।

परिचय

- भद्रा वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक के पश्चिमी घाट में स्थित एक प्रमुख वन्यजीव रिजर्व है।
- यह बड़े भद्रा टाइगर रिजर्व का हिस्सा है, जिसे 1998 में घोषित किया गया था। इस अभयारण्य का नाम भद्रा नदी के नाम पर रखा गया है, जो इसके माध्यम से बहती है।
- इसे मुथोडी वन्यजीव अभयारण्य के नाम से भी जाना जाता है, जो शिवमोग्गा और चिकमंगलूर जिलों में स्थित है।
- वन्य जीवन: 250 से अधिक पक्षी प्रजातियों (कई स्थानिक), स्तनधारी, सरीसृप और जगारा जायंट, जो कर्नाटक का सबसे बड़ा सागौन वृक्ष है, का निवास स्थान।

Source: TH

सिग्नल ऐप

संदर्भ

- ट्रम्प प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने सैन्य चर्चाओं के लिए एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप सिग्नल का इस्तेमाल किया और गलती से इसमें एक पत्रकार को भी शामिल कर लिया, जिससे संवेदनशील जानकारी उजागर हो गई।

सिग्नल के बारे में

- यह ऐप प्रत्यक्ष संदेश, समूह चैट तथा फोन और वीडियो कॉल के लिए उपयोग किया जाता है।
- यह मैसेजिंग और कॉलिंग सेवाओं दोनों के लिए एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन का उपयोग करता है, जिससे तीसरे पक्ष को बातचीत देखने या कॉल सुनने से रोका जा सके।
- यह ऐप न्यूनतम उपयोगकर्ता डेटा एकत्र करता है और एक निर्धारित समय के बाद स्वचालित संदेश हटाने की सुविधा देता है, जिससे गोपनीयता की एक अतिरिक्त परत जुड़ जाती है।
- हालांकि सिग्नल ने अपनी गोपनीयता विशेषताओं के कारण सरकारी अधिकारियों के बीच लोकप्रियता प्राप्त की है, लेकिन हालिया घटना उपयोगकर्ता की त्रुटियों के संभावित जोखिमों को उजागर करती है और राष्ट्रीय सुरक्षा संचार के लिए ऐसे ऐप्स के उपयोग की उपयुक्तता पर सवाल उठाती है।

Source: IE